



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा,
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

- / / आदेश / / -

क्र. / 529 / अ.वि.अ. / वाचक-1 / 2025

धमधा, दिनांक 21/05/2025

रा.प्र.क. 202505170500023 अ/62 वर्ष 2024-25

वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त स्थल जांच सह पंचनामा दिनांक 05/05/2023 के अनुसार आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत लिटिया द्वारा ग्राम ग्राम लिटिया प.ह.नं. 08 में स्थित खसरा नंबर 495 रक्बा 0.2700 हेठो में स्थित 04 नग सिरिज वृक्ष को छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत काटने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :—

- वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/ कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।
- वन मण्डलाधिकारी दुर्ग द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरों की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- काटे गये प्रत्येक एक-एक वृक्षों के बदले 10-10 कुल (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष काटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
- कार्यालय ग्राम पंचायत लिटिया में रोपण निधि के तहत प्रति वृक्ष 150 रुपये की दर से 04 नग सिरिज वृक्ष की 600 रुपये/- जमा करें, यह राशि ग्राम पंचायत में रोपण निधि के अंतर्गत रखी जावेगी।
- अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।
- यदि 04 नग वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरुद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके। (यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)
- अनुमति दिये गये वृक्षों की प्रतिफल की राशि आवेदक को नियमानुसार प्रदाय किया जावें।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमधा, धमधा दुर्ग (छ.ग.)

धमधा, दिनांक 21/05/2025

पृ.क्र. / 529 / अ.वि.अ. / वाचक-1 / 2025

प्रतिलिपि:-

- कलेक्टर महोदय दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
- तहसीलदार बोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत लिटिया तहसील बोरी जिला दुर्ग को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमधा, धमधा दुर्ग (छ.ग.)

